न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 132/2012–13

संजय कुमार वनाम राज्य

आदेश

16-5-14

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी संजय कंमार के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, सहरसा के ज्ञापांक– 1054 गो० दिनांक– 11.08.2009 द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, चन्दौर पूर्वी, प्रखण्ड– सौरबाजार की अनुज्ञप्ति निलम्बित किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध सी०डब्लू०जे०सी० 2188/2012 में दिनांक– 01.08.2012 को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दाखिल किया है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत है:–

" The writ petition is dismissed with liberty to avail the remedy of appeal."

अपीलार्थी का कहना है कि सौरबाजार प्रखण्ड अन्तर्गत चन्दौर पूर्वी के लिए उन्हें जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति संख्या– 29/1992 प्राप्त है तथा 1992 से वे निष्ठापूर्वक नियमानुसार जन वितरण प्रणाली की दूकान चलाते आ रहे हैं और कभी किसी भी लाभार्थी को उनसे कों शिकायत नहीं है। प्रश्नगत अनुज्ञप्ति निलम्ब संबंधी अचानक ज्ञापांक 1054 दिनांक– 11.08.2009 से प्राप्त आदेश पर से प्राप्त आदेश पर उन्हें आश्चर्य हुआ। निलम्बन आदेशानुसार उन्हें एक सप्ताह के अन्दर कारण पृच्छा समर्पण करने को कहा गया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी ने कारण–पृच्छा में उल्लिखित तथ्यों पर जॉच कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा मामले की जॉच प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, सौरबाजार से करायी गयी। जॉच पदाधिकारी ने स्थल पर पहुॅच कर पंचायत के मुखिया, जिला व्यवस्थापक राज्य खाद्य निगम, सहरसा के अतिरिक्त कूपनधारियों से पूछ–ताछ कर एवं बयान अंकित कर जनहित में अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करने का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 16-A दिनांक– 10.12.2010 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को समर्पित किया। अनुमण्डल पदाधिकारी के पत्रांक– 2563 दिनांक– 14.12.2010 द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करने की अनुशंसा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा को भेजी गयी। जब साढ़े तीन वर्ष हो गया तो आवेदक ने मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अपील में जाने हेतु आदेशित किया गया। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि पी०डी०एस० कन्ट्रोल आर्डर 2001 के प्रावधान के तहत निलम्बन से पूर्व अपीलार्थी से कारण–पृच्छा की मांग की जानी चाहिए थी जिसका प्रस्तुत मामला में पालन नहीं किया गया है।

निमयानुसार अनुज्ञप्ति 90 दिनों तक निलम्बित रखा जा सकता है परन्तु प्रस्तुत मामले में 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जो Mandatory Provision of the Law के विरूद्ध है। जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति निलम्बन/रद्ध करने का अधिकार अनुज्ञापन पदाधिकारी को है। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी को सलाह देना है, परन्तु अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय गुजर जाने पर भी कोई निर्णय नहीं लेना प्रावधान के प्रतिकूल है। जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, जिस कारण अपीलार्थी को मान्नीय उच्च न्यायालय का शरण लेना पड़ा। कूपनधारियों ने जॉच में स्पष्ट किया था ग्रामीण पार्टी पालिटिक्स के कारण पूर्व में लगाये गये आरोप गलत है। इस तरह निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत एवं प्रावधान के प्रतिकूल है। अन्ततः अपीलार्थी ने अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है। प्रतिपक्षी राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि अनुज्ञप्ति निलम्बन की अवधि 90 दिनों से अधिक की हो चूकी है। अतएव अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त कर दी जानी चाहिए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख के साथ संलग्न निम्न न्यायालय अभिलेख एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति आदेश ज्ञापांक– 1054 दिनांक– 11.08.2009 के द्वारा निलंबित किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 387 दिनांक–20.01.2012 से निलंबित दुकानों के संबंध में निदेश दिया गया है कि दिनांक– 23.06.2011 के पूर्व निलंबित दुकानों के विरूद्ध यदि 7 EC के अन्तर्गत मामले दर्ज नहीं है तो उनकी अनुज्ञप्ति के निलंबन को अविलम्ब समाप्त किया जाय। चूकि अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति दिनांक–23.06.2011 के पूर्व से निलंबित है एवं इनके विरूद्ध 7 EC के अन्तर्गत मामला दर्ज होना प्रतिवेदित नहीं है।

अतः उपरोक्त विभागीय निदेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन प्राधिकार का आदेश ज्ञापांक– 1054 गो0 दिनांक– 11.08.2009 को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

16.5.14

जिला पदाधिकारी
सहरसा।